



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 119/2026

ज्योति राजपूत

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग (कारागार), लखनऊ एवं 5 अन्य ... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – व्यक्तिगत रूप से

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शिशिर जैन

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता सुश्री ज्योति राजपूत को व्यक्तिगत रूप से, विद्वान राज्य अधिवक्ता और उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर जैन को सुना।
2. इस रिट याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित मुख्य अनुतोषों के लिए प्रार्थना की है:—

"क. एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी कर यह घोषित किया जाए कि उन मामलों में जहाँ कैदी निर्धन, परित्यक्त या अन्यथा शपथपत्र देने में असमर्थ हैं, रजिस्ट्री द्वारा जेल-प्रमाणित वकालतनामों और संबंधित आवेदनों को मात्र सहायक शपथपत्र दाखिल न करने के आधार पर स्वीकार करने से इनकार करना, मनमाना, अयुक्त और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है।

ख. प्रतिवादी संख्या 2 और 4 को यह निर्देश देते हुए एक रिट, उपयुक्त आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे अनुलग्नक संख्या 2 में नामित उन महिलाओं/कैदियों की रिहाई के लिए तत्काल सम्पूर्ण वैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया की सूचना प्रदान करें, पूर्ण करें और सुनिश्चित करें, जिन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और एक निर्धारित समय में उनकी वास्तविक रिहाई सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ग. इस माननीय न्यायालय की रजिस्ट्री को कारागार अधिकारियों द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित वकालतनामों को स्वीकार करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए, विशेष रूप से उन बंदियों के मामलों में जो कारावास, पारिवारिक सहायता की कमी या अत्यधिक निर्धनता के कारण शपथपत्रों की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, और ऐसी विशुद्ध तकनीकी आपत्तियां न उठाई जाएं जो वास्तविक न्याय को विफल करती हों।

घ. माननीय उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री को कारावास में बंद व्यक्तियों की ओर से आवेदन, अपील और संशोधन याचिकाओं को दाखिल करने के लिए एक समान और मानवीय प्रक्रिया तैयार करने और लागू करने का निर्देश दिया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रक्रियात्मक तकनीकी बाधाएं न्याय तक पहुंच में बाधक न बनें।

ङ. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को राज्य के उन सभी मामलों में स्वतः संज्ञान लेने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए, जहाँ किसी आरोपी या अपराधी को जमानत मिल गई है, किन्तु जमानत देने में असमर्थता के कारण वह सात दिनों से अधिक समय से कारागार में बंद है, और विधि के अनुसार जमानत देने या व्यक्तिगत बंधपत्र पर रिहाई के लिए तत्काल कदम उठाने और उक्त कैदियों का विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

च. राज्य सरकार और कारागार प्रशासन को उन कैदियों की जेल-वार और जिला-वार सूची तैयार करने और समयबद्ध रूप से अद्यतन करने का निर्देश दिया जाए, जो जमानत मिलने के बावजूद कारागार में बंद हैं, और ऐसी सूची को तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए।

छ. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास लंबित दया याचिकाओं पर समयबद्ध विचार और निस्तारण को अनिवार्य करने के उद्देश्य से एक उपयुक्त रिट या निर्देश जारी किया जाए, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी निगरानी तंत्र विकसित किया जाए कि ऐसी याचिकाएं अनिश्चित काल तक लंबित न रहें।

ज. यह घोषित किया जाए कि कैदियों को इस आधार पर संवैधानिक और वैधानिक उपचारों से वंचित करना कि उनके पास शपथपत्र दाखिल करने या उनके मामलों की पैरवी करने के लिए कोई परिवार का सदस्य उपलब्ध नहीं है, असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन

हैं।

झ. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया जाए कि वह महिला कैदियों, दिव्यांग कैदियों, बुजुर्ग कैदियों और निर्धन कैदियों को पारिवारिक सहायता की उपलब्धता से निरपेक्ष जमानत, संशोधन, अपील और दया याचिका से संबंधित कार्यवाही करने में सक्रिय रूप से सहायता करे।

ञ. राज्य सरकार और कारागार अधिकारियों को एक प्रभावी संचार तंत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक कैदी को जमानत मिलने, अपीलों के निस्तारण या उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले किसी भी अन्य न्यायिक आदेश के बारे में तत्काल सूचित किया जाए।

ट. इस माननीय न्यायालय द्वारा रेखा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिपादित दिशानिर्देशों और कारागार में निरुद्ध माता-पिता के बच्चों के कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और नियमित माता-पिता के संपर्क से संबंधित अन्य बाध्यकारी दृष्टान्तों का कठोरतापूर्वक अनुपालन करने का निर्देश देते हुए परमादेश की रिट जारी की जाए।

ठ. यह घोषित किया जाए कि कारावास में निरुद्ध व्यक्तियों के प्रकरणों में, जिनकी तुलना कारागार में होने के कारण सामान्य वादकारियों से नहीं की जा सकती, कठोर तकनीकी प्रक्रियाओं पर जोर देना न्याय तक पहुंच और मानवीय गरिमा के संवैधानिक जनादेश के विपरीत है।

ड. ऐसे अन्य आदेश पारित किए जाएं जो इस माननीय न्यायालय द्वारा न्याय, साम्य, मानवाधिकारों और कैदियों तथा उनके बच्चों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के हित में उचित समझे जायें।"

3. हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या आपराधिक मामलों जैसे कि आपराधिक अपील या जमानत में, चाहे वह विचारण के दौरान हो या अपील में, यदि अपीलकर्ता या आवेदक कारागार में है और कोई अधिवक्ता, चाहे वह निजी अधिवक्ता हो या विधिक सहायता सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कोई अधिवक्ता हो, जो उसके मामले में विधिक सहायता प्रदान कर रहा है और बाद में वह दूसरा अधिवक्ता नियुक्त करना चाहता है और इसके लिए विधिवत हस्ताक्षरित 'वकालतनामा' प्रदान करता है जिसे कारागार अधीक्षक द्वारा सत्यापित किया गया है और उसे एक निजी अधिवक्ता को सौंपता है, तो क्या ऐसे बाद में नियुक्त किये गए निजी अधिवक्ता को पूर्व अधिवक्ता (चाहे वह

निजी हो या विधिक सहायता प्राधिकरण का) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने या अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त न कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक शपथपत्र दाखिल करने की आवश्यकता होनी चाहिए? क्या यह प्रक्रिया, किसी विशिष्ट मामले में जहाँ अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है या इसे प्राप्त करना कठिन है और शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई पैरोकार नहीं है (जैसा कि इस मामले में है), कारावास में निरुद्ध विचाराधीन कैदी या दण्डित व्यक्ति के न्याय तक पहुँच के अधिकार का उल्लंघन करने की हद तक बोझिल नहीं है, विशेष रूप से तब जब जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अनिवार्य रूप से ऐसे मामलों से संबंधित होता है जो संवैधानिक योजना के अंतर्गत सर्वोपरि हैं और प्रक्रियात्मक मामलों के अधीन नहीं हैं, जब तक कि मान्य और वैध कारणों के लिए पूर्ण रूप से आवश्यक न हो।

4. उच्च न्यायालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शिशिर जैन द्वारा इस पर प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जाए।

5. इस मामले को मार्च, 2026 में सूचीबद्ध/प्रस्तुत किया जाए।

6. हम इस रिट याचिका को मात्र अनुतोष संख्या क, ख, घ, ज और ट के संबंध में ही स्वीकार करते हैं। अन्य अनुतोषों के संबंध में, हम याचिकाकर्ता को इस विषय पर किसी न्यायालय के आदेशों या घोषणाओं के संबंध में उचित शोध करने के उपरान्त एक नई रिट याचिका दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हैं, और यदि कोई हो, तो उन्हें संलग्न करें और फिर ऐसा वाद प्रस्तुत करें कि उसी के संबंध में एक और जनहित याचिका क्यों स्वीकार की जानी चाहिए।

12 फरवरी, 2026

प्रवीण

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)